निबंधन संख्या पी०टी०-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 ज्येष्ठ 1933 (श०)

(सं० पटना 267) पटना, सोमवार, 6 जून 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

6 जून 2011

सं० एल०जी०-1-05/2011/लेज: 116— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 2 जून 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 17, 2011]

बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011

प्रस्तावना: बिहार राज्य में संचालित प्रारंभिक विद्यालयों के प्रबंधन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में लोक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तत्काल तदर्थ प्रारंभिक शिक्षा समितियों के गठन एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के आलोक में शिक्षा समितियों के गठन हेतु अधिनियम।

बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2007 के प्रावधानों के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा समितियों के गठन नहीं होने के कारण इन विद्यालयों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में लोक भागीदारी सुनिश्चित करना संभव नहीं हो रहा है तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी हो जाने के कारण इस अधिनियम की धारा 21 के तहत अब नये रूप में विद्यालय शिक्षा समितियों के गठन का कार्य किया जाना है, ऐसी स्थिति में प्रारंभिक विद्यालयों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में तत्काल लोक भागीदारी सुनिश्चित करने एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नये रूप में शिक्षा समितियों के गठन करने के उद्देश्य से बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011 अधिनियमित किया जाना आवश्यक हो गया है।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।** (1) यह अधिनियम बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो

(i) "प्राथमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, वैसे विद्यालय जो कक्षा पाँच तक की शिक्षा का उपबंध करने हेतु स्थापित किये गये हैं, किन्तु राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त विद्यालय अथवा अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल नहीं है;

(ii) "मध्य विद्यालय" से अभिप्रेत है, वैसे विद्यालय जो कक्षा आठ तक की शिक्षा का उपबंध करने हेतु स्थापित किये गये हों, किन्तु राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त विद्यालय अथवा अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल नहीं है।

(iii) "प्रारंभिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, वर्ग पाँच एवं वर्ग आठ तक की शिक्षा का उपबंध करने वाले प्राथमिक एवं मध्य/बुनियादी विद्यालय।

(iv) "बुनियादी विद्यालय" से अभिप्रेत है, ऐसे विद्यालय जो बिहार एवं उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1959 के अधीन स्थापित किये गये हों;

(v) "प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा निर्दिष्ट पदाधिकारी।

(vi) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का मानव संसाधन विकास विभाग;

(vii) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011;

(viii) "प्रारंभिक विद्यालय तदर्थ शिक्षा समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्वाचित समिति,

(ix) "माता पिता" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका बच्चा / बच्चे विद्यालय में नामांकित हो,

(x) "माता पिता सभा" से अभिप्रेत है प्राथमिक मध्य / बुनियादी विद्यालयों में पढनेवाले बच्चों के माता पिता की सभा,

(xi) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है इस अधिनियम द्वारा गठित विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष,

(xii) "सचिव" से अभिप्रेत है इस अधिनियम द्वारा गठित विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव;

(xiii) "प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति विकास कोष" से अभिप्रेत है विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा स्थापित कोष (तदर्थ समिति सहित),

(xiv) "अभिभावक" से अभिप्रेत है किसी बच्चा के संदर्भ में सक्षम न्यायालय के द्वारा घोषित वैधानिक अभिभावक।

3. **प्रारंभिक विद्यालयों के लिए तदर्थ समिति का गठन।** (i) प्रत्येक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (बुनियादी विद्यालय सहित)के लिए पृथक तदर्थ समिति का गठन किया जायगा।

(ii) तदर्थ समिति निम्नलिखित 6 (छः) या 7 (सात) सदस्यों को मिलाकर होगी:

(क) ग्राम पंचायत / नगर निकाय के वार्ड के निर्वाचित सदस्य जहाँ विद्यालय अवस्थित है 1 (एक) सदस्य;

(ख) विद्यालय का प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक 1 (एक) सदस्य,

(ग) विद्यालय के वर्ग 2 के सामान्य कोटि के छात्र / छात्रा जिसने विगत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (वर्ग 1 का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन) में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया हो, की माता- 1 (एक) सदस्य;

(घ) विद्यालय के वर्ग 2 के अनुसूचित जाति के छात्र / छात्रा जिसने विगत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (वर्ग 1 का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन) में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया हो, की माता - 1 (एक) सदस्य;

(ङ) विद्यालय के वर्ग 5 या 8 (प्राथमिक विद्यालयों के लिए वर्ग 5 तथा मध्य विद्यालयों के लिए वर्ग 8) के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्रा जिसने विगत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (वर्ग 4 अथवा वर्ग 7 के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन) में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया हो, की माता- 1 (एक) सदस्य;

(च) विद्यालय के वर्ग 5 या 8 (प्राथमिक विद्यालयों के लिए वर्ग 5 तथा मध्य विद्यालयों के लिए वर्ग 8) के पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्रा जिसने विगत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (वर्ग–4 अथवा वर्ग 7 के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन) में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया हो, की माता 1 (एक) सदस्य;

(छ) ऐसे ग्राम पंचायत / नगर निकाय जहाँ अनुसूचित जन जाति की आबादी कुल आबादी का 5 % या अधिक हो के वर्ग 2 के अनुसूचित जन जाति के छात्र / छात्रा जिसने विगत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया हो, की माता। यदि वर्ग 2 में अनुसूचित जनजाति

के छात्र/छात्रा नामांकित नहीं हों तो उससे कम में जिस वर्ग में इस कोटि के छात्र/छात्रा उपलब्ध हों, के छात्र/छात्रा की माता – 1 (एक) सदस्य, और

(ख) जिस कोटि के लिए छात्र/छात्रा की माता का चयन सदस्य के रूप में किया जाना है, माता के जीवित नहीं रहने पर, उस कोटि का प्रतिनिधित्व पिता के द्वारा किया जा सकेगा। छात्र/छात्रा के माता पिता के जीवित नहीं रहने पर छात्र/छात्रा के अभिभावक समिति के सदस्य हो सकेंगे।

4. **तदर्थ समिति का सचिव।** माता सदस्यों में से 1 (एक) सदस्य का चयन सर्व सम्मति या चुनाव के द्वारा सचिव के रूप में सभी सदस्यों के द्वारा किया जायगा। सचिव का चुनाव प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायगा।

5. **तदर्थ समिति का अध्यक्ष।** वार्ड सदस्य तदर्थ समिति के अध्यक्ष होंगे।

6. **तदर्थ समिति की बैठक।** तदर्थ समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायगी तथा बैठक में कम से कम 4 (चार) सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **विद्यालय शिक्षा समिति विकास निधि।** प्रत्येक विद्यालय में, विद्यालय शिक्षा समिति (तदर्थ विद्यालय शिक्षा समिति सहित) के नाम से एक निधि का सृजन किया जायगा जिसमें सभी वैध स्रोतों से प्राप्त की गयी राशि जमा की जायेगी। इस निधि का संचालन सचिव (तदर्थ समिति के सचिव सहित) एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। इस निधि से की गयी प्रत्येक निकासी की संपुष्टि आगामी बैठक में की जानी आवश्यक होगी अन्यथा अगली कोई निकासी नहीं की जायगी।

8. **तदर्थ समिति का निबंधन।** तदर्थ समिति को एक संस्था के रूप में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा निबंधित किया जायगा।

9. **तदर्थ समिति का कार्यकाल।** तदर्थ शिक्षा समिति इस अधिनियमके प्रावधानों तथा अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गठित शिक्षा समिति के गठन के पूर्व तक विद्यमान रहेगी।

10. **तदर्थ समिति का अधिकार एवं कार्य।** (i) तदर्थ समिति विद्यालय में होनेवाली सामान्य शैक्षणिक कार्यों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करायेगी;

(ii) शिक्षकों की समय उपस्थिति सुनिश्चित करायेगी;

(iii) विद्यालय के भवन निर्माण कार्यों तथा मध्याह्न भोजन का अनुश्रवण करेगी तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कार्य करेगी; एवं

(vi) समिति समय समय पर सरकार के द्वारा दिये गये आदेश निदेश का पालन करेगी।

11. **विद्यालय शिक्षा समितियों का गठन।** प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय के लिए 1 (एक) शिक्षा समिति का गठन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित की जानेवाली नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया जायेगा। व्यापकता के बिना, विद्यालय शिक्षा समिति का गठन निम्नलिखित बिन्दुओं के अधीन होगा:

(i) शिक्षा समिति में 14 (चौदह) सदस्य होंगे जिसमें 2 (दो) सदस्य पदेन होंगे एवं 12 (बारह) सदस्य माता पिता के द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे;

(ii) पदेन सदस्यों में से 1 (एक) सदस्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक होंगे तथा दूसरे सदस्य ग्राम पंचायत/नगर निकाय के वार्ड जहाँ विद्यालय अवस्थित हो, के सदस्य होंगे,

(iii) माता पिता समूह से 12 (बारह) सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराया जायगा। इस चुनाव में विद्यालय में नामांकित सभी छात्र/छात्रा के माता पिता मतदाता के रूप में भाग ले सकेंगे। सदस्यों के चुनाव में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित होंगे,

(iv) निर्वाचित सदस्यों द्वारा 1 (एक) सचिव एवं 1 (एक) अध्यक्ष का चुनाव किया जायगा। समिति का सामान्य कार्यकाल 3 (तीन) वर्षों का होगा। लेकिन समिति विशेष परिस्थिति में भंग की जा सकेगी। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को विहित प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जा सकेगा तथा विहित प्रक्रिया द्वारा सदस्य को भी निष्कासित किया जा सकेगा,

(v) समिति निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं इस अधिनियम के तहत बनायी जाने वाली नियमावली में वर्णित कृत्यों का कार्यान्वयन करेगी।

12 **कठिनाइयों के निराकरण करने हेतु सरकार की शक्तियाँ।** राज्य सरकार इस अधिनियमके प्रावधानों के कार्यान्वयन करने हेतु दिशा निर्देश निर्गत कर सकेगी तथा राज्य सरकार को अधिनियमके क्रियान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति होगी।

13 निरसन एवं व्यावृति। — (1) बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2007 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व अधिनियम तथा इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों, संकल्पों एवं अधिसूचनाओं के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायगी मानो उस अवधि में यह लागू था।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

6 जून 2011

सं0 एल0जी0-1-05/2011/लेज: 117- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 जून 2011 को अनुमत बिहार प्रारंभिक विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 12, 2011]

The Bihar Elementary School Education Committee Act, 2011

AN

ACT

Preamble- for immediate constitution of ad hoc elementary education committee and for constitution of such committees in elementary schools of the state under provisions of "The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009" for ensuring people's participation in the management, control and supervision of the elementary schools of the State of Bihar.

On account of non constitution of the education committees in elementary schools of the state, it is not possible to ensure people's participation in the management, control and supervision of elementary schools and also due to enforcement of "The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009", school education committee has to be constituted in new Form; under provision of Section-21 of this Act, now under the prevailing circumstances with purpose of ensuring immediate people's participation in management, control and supervision of elementary schools and also for constituting elementary school education committee under provisions of "The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009" it has become imperative to enact TheBihar Elementary School Education Committee Act, 2011.

Be it enacted by the Legislature of the state of Bihar in the sixty second years of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**– **(1)** This Act may be called The Bihar Elementary School Education Committee Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in notification.

2. **Definition.**– In this Act, unless there is anything repugnant to the subject or context-

(i) "Primary School" means such schools which have been established to provide education upto class-V, but it does not include the schools fully or partially aided by the State Government and the minority schools;

(ii) "Middle School" means such schools which have been established to provide education up to class-VIII, but does not include the schools fully or partially aided by the State Government and the minority schools;

(iii) "Elementary School" means primary and middle/Basic schools providing education up to class V or up to Class VIII;

(iv) "Basic School" means such school which have been set up under Bihar and Orissa Primary Education (Amendment) Act, 1959;

(v) "Block Education Extension Officer" means an Officer specified as such by the Human Resource Development Department;

(vi) "The State Government" means the Human Resource Development Department of Government of Bihar;

(vii) "Act." means The Bihar Elementary School Education Committee Act 2011;

(viii) "Adhoc committee" means the Committee constituted under section-3 of this Act and registered under the Provisions of this Act.

(ix) "Parents" means a person whose child/children are enrolled in the schools;

(x) "Parent Body" means a body of parents of the children studying in Primary, Middle/Basic schools;

(xi) "Chairperson" means the Chairperson of the Vidyalaya Shiksha Samiti constituted under this Act;

(xii) "Secretary" means the Secretary of the Vidyalaya Shiksha Samiti

constituted under this Act;

(xiii) "Vidyalaya Shiksha Samiti Development Fund" means the fund established by the Vidyalaya Shiksha Samiti (including ad hoc committee);

(xiv) "Guardians" means in context of a child, legal guardian declared by a competent court.

3. **Constitution of an Adhoc committee for Elementary Schools.–** (i) Separate adhoc committee will be constituted for each primary and middle school (including Basic School)

(ii) Adhoc committee will consist of 6 (six) or 7 (seven) members described as follows-

(a) Elected ward member of Gram Panchayat/Nagar Nikay where the school is situated – 1 (One) member;

(b) Head Master/Head Teacher of the school – 1 (One) member;

(c) The mother of the student of class II belonging to general category who has occupied the position of best performer in the previous comprehensive and continuous evaluation (comprehensive and continuous evaluation of Class I) – 1 (One) member;

(d) The mother of the student of class II belonging to scheduled Castes who has occupied the position of best perfomer in the previous comprehensive and continuous evaluation (comprehensive and continuous evaluation of Class I) – 1 (One) member;

(e) The mother of the students of class V or VIII (Class V for primary school and class VIII for Middle school) belonging to extremely backward class who has occupied the position of best performer in the previous comprehensive and continuous evaluation (comprehensive and continuous evaluation of Class IV or Class VII) – 1 (One) member;

(f) The mother of the students of class V or VIII class (Class V for primary school and class VIII for Middle school) belonging to backward class who has occupied the position of best performer in the previous comprehensive and continuos evaluation (comprehensive and continuous evaluation of Class IV or Class VII) – 1 (One) member;

(g) In Gram Panchayat or Nagar Nikay where population of the Schedule Tribes is 5% or more of the total population, the mother of the student of class II belonging to Scheduled Tribe Category who has occupied the position of best performer in the comprehensive and continuous evaluation of class I. In case a ST student is not available in the class II the mother of the ST student who is available in other class in ascending order 1 (One) member;

(h) In the category where the mother of the student has to be selected and in case the mother is not alive, she will be represented by the father. In cases where both the mother and the father are not alive the guardian of the student will be selected as the member.

4 **Secretary of the Adhoc committee.–** Under the supervision of the Block Education Extension Officer 1 (one) member among the mothers will be selected either unanimously or by election by all the members as secretary.

5 **Chairman of the Adhoc Committee.–** The ward member will be chairperson of the adhoc committee.

6. **Meeting of the Adhoc Committee.–** The meeting of Adhoc committee will be called every month and presence of at least 4 (four) members will be essential for such meeting.

7 **Vidyalaya Shiksha Samiti Development Fund.–** In each school, a fund will be created in the name of Vidhalaya Shiksha Samiti (including Ad hoc Vidyalaya Shiksha Samiti) in which amount received from all legal sources will be deposited. Accounts of the fund will be operated jointly by the secretary (including Secretary of Ad hoc Committee) and the Head Master/Head Teacher of the school. Each withdrawal from this fund has to be confirmed in the forth coming meeting of the committee otherwise there will not be any further withdrawal from this fund.

8. **Registration of the Adhoc Committee.–** The registration of Adhoc committee as an institution will be done by the Block Education Extension Officer.

9. **Term of the Adhoc Committee.–** The Adhoc committee shall remain in existence till a committee is constituted under the provisions of this Act and the provisions of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act.

10. **Power and Function of the Adhoe Committee.–** (i) The Adhoc committee shall control and supervise general academic activities of the school;

(ii) It shall ensure presence of teacher on times;

(iii) It shall monitor construction of school building and Mid-day meal and carry out all the necessary activities for implementation of provisions of the Right of children to free and compulsory education Act 2009;

(iv) It shall ensure compliance of order/direction given by the Government from time to time.

11. **Constitution of School Education Committees.–** For each elementary school a Vidyalaya Shiksha Samiti shall be constituted under the provision of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 and rules to be notified under the provisions of this Act. Without generality, the constitution of Vidyalaya Shiksha Samiti shall be under the following points:-

(i) The Shiksha Samiti will consist of 14 (Fourteen) members in which 2 (Two) shall be ex-officio and 12 (Twelve) shall be elected among the parents;

(ii) Of the 2 (two) ex-officio members 1 (one) shall be the Head Master/Head Teacher of the school and other shall be the elected member of the ward of the Gram Panchayat or Nagar Nikay where the school is situated;

(iii) The election of 12 (twelve) member among parents shall be conducted under direction, supervision and control of State Election Authority. In this election parents of all students enrolled in the school shall participate as elector. Seats shall be reserved for SC/ST, extremely backward classes, backward classes and women;

(iv) Elected members of the committee shall elect 1 (one) member as Secretary and 1 (one) member as chairperson. The general tenure of the committee shall be of three years but under special circumstances the committee may be dissolved. The secretary and the chairperson of the committee may be expelled under procedure prescribed. The member of the committee may also be expelled under procedure prescribed:

(v) The committee shall carry out functions as described in Right of Children to Free and Compulsory Education Act. 2009 and the rules to be framed under the provisions of this Act.

12. **Powers of the Government to Remove Deficulties.**– For the implementation of the provisions of this Act, the state Government may issue guidelines and also the State Government shall have the power to remove the difficulties in the implementation of the provisions of this Act.

13. **Repeal and Savings.**– (1) The Bihar Elementary School Education Committee Act 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any thing done or any action taken under the previous Act and the orders, resolutions and notifications issued by the State Government prior to the commencement of this Act shall be deemed to be done or action taken under this Act as if it was in force during the period.

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 267-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in